मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 11813 / NR-4/4/11 भोपाल, दिनांक 16/12/11

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गारंटी स्कीम–म.प्र
जिला :– समस्त (धार को छोड़कर)

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त व्यवस्था।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक 10120 / NREGS-M.P / वित्त एवं लेखा / 2011 दिनांक 24 / 10 / 11

::::00::::

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पृष्ठांकन क्रमांक 8254 / NR–4 / NREGS-M.P / 11 भोपाल दिनांक 10 / 08 / 11 के द्वारा मनरेगा योजना खाता जिले की लीड बैंक में संधारित किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए थे।

संलग्न संदर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रमाण पत्र चाहा गया था जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। कृपया प्रमाण पत्र शीघ्र भेजना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– यथोपरि

(डॉ0 राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

D:\AA0-SM\Letter-09.doc

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/ 10120 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 24/10/11

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन हेतु वित्त व्यवस्था।

संदर्भः– म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पृष्ठांकन क्र. 8254 / NR-4 / NREGS-MP / 11 भोपाल दिनांक 10.8.2011

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का योजना खाता जिले की लीड बैक में संधारित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे तथा पूर्व का खाता बंद करने के निर्देश दिये गये थे।

स्पष्ट है कि इस कार्यवाही में पूर्व के भारतीय स्टेट बैंक में खोले गये खाते से जारी किये गये चैक्स के समुचित निराकरण के उपरांत ही समय–सीमा में यह खाता बंद करना होगा तथा इसके उपरांत लीड बैंक में संधारित खाते को संव्यवहृत किया जायेगा। अतः भारतीय स्टेट बैंक के खाते से जारी किये गये चैक जोकि अभीतक Clear नहीं हो पाये हैं उतनी राशि छोड़ते हुए शेष राशि लीड बैंक खाते में स्थानांतरित की जाये।

उपर्युक्त कार्यवाही के संबंध में संलग्न प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाये। जिन जिलों में लीड बैंक भारतीय स्टेट बैंक ही है उन जिलों में उपर्युक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होगी।

<u>*आयुक्त द्वारा आदेशित*</u>

(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

प्रमाण–पत्र–जिला........

1. प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. का खाता क्र. .... बैंक का नाम .... में संधारित था। इस खाते के विरूद्ध ....चैक्स (चैक्स की ख्या) लिखें Uncleared है जोकि राशि रू. .... के हैं।

अतः इस राशि को छोड़ते हुए खाते की शेष राशि रू. .... जिले की लीड बैंक में खोले गये खाते क्रमांक .... बैंक का नाम .... IFSC कोड .... में स्थानांतरित कर दिये गये हैं।

2. उपर्युक्त Uncleared चैक्स के समय सीमा में निराकरण के उपरांत पूर्व का खाता बंद कर शेष रही राशि नवीन खाते में स्थानांतरित कर दी जायेगी एवं इसकी सूचना परिषद् को दी जायेगी।

लेखाधिकारी   अतिरिक्त जिला कायक्रम समन्वयक   जिला कार्यक्रम समन्वयक